न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 03 / 2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/ 3)

हेतगिर पुत्र श्री देवगिर जाति गुसाई निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिये तहसील (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री कौशल आचार्य – अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 08–10–2021**

1. यह अपील अन्तर्गत धारा–225 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 08.06.2020 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.06.2020 से तहसील रावतसर की ग्राम पंचायत पल्लू के खं. नं. 1012 / 204 की 0.7200 हैक्टयर गें.मु. गोचर भूमि में सें 0.3795 हैक्टयर गें. मु. गोचर भूमि को आराजीराज करते हुए सहायक अभियन्ता (पवस) (जो.वि.वि.नि. लि.) पल्लू के कार्यालय भवन हेतु आवटन की गई तथा गे. मु. गोचर भमि की क्षतिपूर्ति हेतु तहसील रावतसर की ग्राम पंचायत पल्लू के गांव शेखचुलिया के खं.नं. 673 / 322 की 2.782 हैक्टर आराजीराज भूमि मे से 0.3795 हैक्टर को गोचर भूमि धोषित किया गया है, उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट को दिनांक 21.08.1968 को रोही शेख चुलिया तहसील नोहर हाल रावतसर के खं. नं. 25 की 5 बीधा खं. नं. 35 की 6 बीधा कुल 11 बीधा रकबा

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बरानी अलॉट किया गया। बाद आवंटन प्रार्थी उक्त रकबा पर लगातार काबिज चला आ रहा है। उक्त खसरा मौजूदा रिकार्ड में खं. नं. 673/322 में से 2.782 हैक्टर में पैमूद हुआ। बन्दोबस्त विभाग द्वारा अपीलान्ट की काश्त होने से पर्चा लगान जारी कर दिया, बाद बन्दोबस्त नयी जमाबन्दी बनाते समय अपीलान्ट के नाम खं.नं. 673/322 की 2.780 हैक्टर की अलग से जमाबन्दी नही बनायी गई व दुसरे खसरो के साथ रकबा राज पड़त दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा रिकॉर्ड में अमलदरामद कराने हेतु तहसीलदार रावतसर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर को कई बार प्रार्थना पत्र दिये। अपीलान्ट ने सहायक कलक्टर रावतसर में वाद अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट पेश किया जो मु. नं. 126/2016 दर्ज हुआ। जिसमे तहसीलदार नवम्बर 2016 में हाजिर हो चुकी है। जो आज भी जैरकार है। अदालत मातहत के आदेश मे अपीलान्ट पक्षकार नही था। ना ही अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना दी गई। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.06.2020 को निरस्त किया जावे।

5. तहसीलदार (राजस्व) रावतसर ने राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अपने लिखित कथन में बताया कि अपीलान्ट हेतगिर गुसाई दिनांक 21.08.1968 के आवटन पट्टा को आधार बनाकर उक्त आराजीराज भूमि को हडपना चाहता है। जबकि अपीलान्ट उक्त पट्टा की शर्तो आवंटन नियमो के अन्तर्गत पात्रता ही नही रखता है। उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजो एव पटवारी हल्का तथा उपतहसीलदार पल्लू की रिर्पोट अनुसार स्पष्ट है कि रोही मौजा शेखचूलिया के खं न. 673/322 की 2.780 हैक्टर भूमि सन् 1968 से आज तक आराजीराज दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कभी कब्जा काश्त नही रहा है तथा ना ही आवटन पट्टा का राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद हुआ है। सन् 1968 से सन् 2021 तक लगभग 53 दर्षो से रिकॉर्ड मे अंकन नही है। अतः अपील खारिज योग्य है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6 राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 08.06.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ ने ग्राम पल्लू के खं. नं. 1012/204 की 0.7200 हैक्टयर गें.मु. गोचर भूमि में सें 0.3795 हैक्टयर भूमि सहायक अभियन्ता (पवस) (जो.वि.वि.नि.लि.) पल्लू के को राजकोष मे राशि 6.40520/–रूपये जमा करवाये जाने के फलस्वरूप आंवटित की गई है तथा राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 6(12) राज–6/99 पीटी/23/जयपुर दिनांक 13.10.2005 व संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6(12) राज–6/99 पार्ट/8 /जयपुर दिनांक 30.07.2014 मे प्रदत निर्देशानुसार ग्राम पंचायत पल्लू के गांव शेख चूलिया के खं न. 673/322 की 2.782 है. अराजीराज भूमि मे से 0.3795 हैक्टर भूमि को गे. मु. गोचर दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये है। अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम शेख चूलिया के तत्समय खं. नं. 25 की 5 बीधा व खं. नं. 35 की 6 बीधा कुल 11 बीधा भूमि उसे आवटित हुई थी जिसके नये खं. नं. 673/322 की 2.782 हैक्टर बने है। उक्त भूमि के अमल दरामद हेतु नियमित वाद सं. 126/2016 सहायक कलक्टर रावतसर के न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जो जैरकार है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2020 में ग्राम शेख चूलिया के खं. नं. 673/322 की 2.780 हैक्टर भूमि रकबा राज मे से गोचर धोषित की गई भमि सम्बन्धी आदेश को निरस्त किया जावे। अपीलान्ट ने करीब 53 वर्ष पूर्व भूमि आवटन का कथन किया है भूमि आज भी कब्जा मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार रावतसर नही है। तथा कथित वाद में किसी प्रकार स्थगन आदेश भी नही है । अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20.11.2020 को होना अंकित किया है। जिसकी नकल दिनांक 23.11.2020 को प्राप्त होकर अंकित करते

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुए उक्त आदेश के विरूद्व अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के संमक्ष दिनांक 12.01.2021 को प्रस्तुत की गई जो राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 21.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट को संक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई गई। तत्पश्चात अपील अदालतवाला मे दिनांक 29.01.2021 को प्रस्तुत की गई इस प्रकार यदि अपील को अन्दर मियाद मान भी ले तो अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के साथ अपने कथन के सर्मथन में मुताबिक़ सूची नं. 3 के नकल अपीलाधीन आदेश के अतिरिक्त सभी दस्तावेज अप्रमाणित फोटो प्रतिया प्रस्तुंत की है, जो कि साक्ष्य विधि के अनुसार साक्ष्य में पढने योग्य नही है। अपीलाधीन भूमि का आवटन सार्वजनिक हित में आमजन की सुविधा हेतु राजकीय प्रयोजनार्थ किया गया है जिसकी राशि भी जमा हो चुकी है कब्जा सम्बधित विभाग को दिया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2020 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।